

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(03)डीएलबी/2020/9030

दिनांक: 25-4-2023


आदेश

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की प्रभावी पैरवी करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ में तुरन्त प्रभाव से पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	एनरॉलमेन्ट संख्या
1.	श्री सुमित गर्ग	आर/3173/2004
2.	श्री जतिन वर्डिया	आर/1815/2012
3.	श्री संजय कुमार जोशी	आर/950/1999

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर परिषद चित्तौड़गढ़ से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(03)डीएलबी/2020/9031-9041

दिनांक: 25-4-2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर।
5. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद चित्तौड़गढ़।
6. श्री सुमित गर्ग, श्री जतिन वर्डिया, श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता मार्फत नगर परिषद चित्तौड़गढ़।
7. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी